श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नई दिल्ली में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशा-निर्देश लॉन्च किए

स्कूल प्रबंधन समिति दिशा-निर्देश 2026 सामुदायिक भागीदारी और विद्यालय प्रशासन को सुदृढ़ करेंगे - श्री धर्मेन्द्र प्रधान

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों से एक जन-आंदोलन बन जाने का आह्वान किया

प्रविष्टि तिथि: 06 MAY 2026 6:00PM by PIB Delhi

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशा-निर्देश लॉन्च किए। इस अवसर पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद; छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव; स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) के सचिव श्री संजय कुमार; पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव श्री अशोक कुमार मीणा तथा डीओएसईएल की अतिरिक्त सचिव श्रीमती अर्चना एस. अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशा-निर्देश–2026 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के विज़न को देश के लगभग 15 लाख विद्यालयों में कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि इन दिशा-निर्देशों में एसएमसी को विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदायों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिससे सामुदायिक भागीदारी और शिक्षा में साझा उत्तरदायित्व के माध्यम से बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके।

श्री प्रधान ने इस बात पर बल दिया कि जहाँ एक ओर सरकार बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है, वहीं एसएमसी दिशा-निर्देश विद्यालयों को सुदृढ़ बनाने में सहयोग, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्वामित्व के महत्व को भी मान्यता देते हैं। उन्होंने कहा कि इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य एसएमसी को शैक्षिक परिणामों में सुधार की एक स्थायी संस्कृति और जन-आंदोलन के रूप में विकसित करना है। विद्यांजलि जैसी पहलों की भूमिका को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से सामुदायिक नेतृत्व के अंतर्गत फली-फूली है, और नए एसएमसी दिशा-निर्देश विद्यालयों को पुनः सामाजिक सहभागिता के केंद्र में स्थापित कर उसी भावना को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं।

अपने संबोधन में श्री आशीष सूद ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल नए दिशा-निर्देश जारी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे गहन और परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि यदि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसका मार्ग देश की कक्षाओं से होकर ही गुजरेगा।

श्री सूद ने नवप्रारंभित एसएमसी दिशा-निर्देश 2026 को इस परिवर्तनकारी यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बाद प्रारंभ किया गया पूर्ववर्ती एसएमसी ढाँचा मुख्यतः अनुदान निगरानी, अवसंरचना पर्यवेक्षण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं तक सीमित था। किंतु आज की चुनौतियाँ और अपेक्षाएँ काफी बदल चुकी हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि बाल सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन), डिजिटल पारदर्शिता, अधिगम (लर्निंग) परिणाम तथा सामुदायिक भागीदारी जैसे विषय अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए हैं। नए एसएमसी दिशा-निर्देशों को इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मंत्री महोदय ने बल देते हुए कहा कि ये दिशा-निर्देश एसएमसी को मात्र निगरानी निकाय से आगे बढ़ाकर वास्तविक “विद्यालय समुदाय प्रशासनिक संस्थान” में परिवर्तित करते हैं। अब एसएमसी समग्र बाल विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता, छात्र कल्याण, सुरक्षा, समावेशन, डिजिटल प्रशासन तथा पारदर्शिता में सक्रिय योगदान देंगी। अपने संबोधन के अंत में श्री सूद ने विश्वास व्यक्त किया कि एसएमसी दिशा-निर्देश 2026 सामुदायिक भागीदारी, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुदृढ़ करेंगे तथा विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

अपने संबोधन में श्री गजेंद्र यादव ने कहा कि बच्चों के अधिगम परिणामों में सुधार के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान के नेतृत्व में प्रस्तुत किए गए स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशा-निर्देश विद्यालय प्रबंधन और संचालन में स्थानीय अभिभावकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर अभिभावकों और विद्यालयों के बीच की दूरी को कम करने में सहायक होंगे।

बैठक में हरियाणा के स्कूल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा; महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा एवं मराठी भाषा मंत्री श्री दादाजी भुसे; मिजोरम के स्कूली शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. वनलालथलाना; त्रिपुरा सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री श्री किशोर बर्मन; उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत; तथा नागालैंड के उच्च शिक्षा मंत्री श्री तेमजेन इम्ना आलोंग सहित कई राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Education
Govt. of India

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

EMPOWERING COMMUNITIES FOR QUALITY EDUCATION

SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC)

SMC Guidelines – March 2026

Community-led Schools for Strengthening Local Governance for Quality Education

> Our objective must be to provide quality education with better governance
>
> — ***Shri Narendra Modi***
> *Hon'ble Prime Minister*

Why New Guidelines?

- Sarva Shiksha Abhiyan (2011) describes SMCs as the decentralised structure for school governance, based on RTE Act 2009
- **"Guidelines for Community Mobilization & SMDCS" issued in 2014** under **Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)** defines role and functioning of SMDC for Secondary and Senior Secondary schools
- **NEP 2020** emphasizes the active involvement of local communities, alumni, and senior citizens for enhancing learning in schools
- **Samagra Shiksha Abhiyan (2018 & 2022)** details the composition, functioning etc. of the SMC

Now the focus includes Foundational Learning, inclusive and equitable education, enhanced community participation in school education, and outcome-based local governance.

Guidelines for School Management Committees 2026

- **In Supersession of all the earlier guidelines on SMC/SMDC**
- Align SMC structure with NEP 2020
- Strengthen community ownership in learning outcomes of Balvatika to Grade-12

What's New?

- Single **SMC** for all Grades for Balvatika to Grade-12
- Clear roles and responsibilities of SMC and Member Secretary
- Enhanced transparency and financial oversight
- Proactive involvement in monitoring student attendance and teacher engagement to enhance learning outcomes.
- Support in inclusive education
- School development planning & Social Audit
- Comprehensive Convergence in Whole-of-Government approach
- Inclusion of new initiatives like Vidyanjali, Eco-clubs, ULLAS, PRASHAST App, School Infrastructure Safety and Disaster Preparedness etc.

SMC Size:

Number of members of the committee may be decided based on the enrolment of the children:

Enrolment Range	Approx. No. of Members
Up to 100 students	12-15 members
100-500 students	15-20 members
Above 500 students	20–25 members

Composition of SMC:

Each SMC shall consist of the following members:

1	**Elected Member from Parents/Guardian**	Chairperson
2	**Elected Member from Parents/Guardian**	Vice Chairperson
3	**Parents/Guardian from all grades of children studying in school**	Member
4	**Elected members of the local authority**	Member
5	**Teachers from the school**	Member
6	**Local educationists / Subject Experts / academicians / senior students / alumni of the school / AWW / ASHA / ANM**	Member
7	**Principal / Head Master / School In-charge**	Member-Secretary

Other Provisions:

- Constitution of SMC within **one month of starting of the academic year.** First meeting of SMC within one week of constitution.
- Election of SMC in a democratic, transparent, and inclusive manner.
- Chairperson and Vice-Chairperson shall be elected in the first meeting.
- SMC meetings conducted at-least **once in a month.**
- Quorum of the SMC (minimum 50%) meetings to be ensured.
- Two recommended sub committees of SMC recommended
  - Academic committee
  - School Building Committee
- School Development Plan (SDP) to be prepared for 3 years with 3 annual sub plans.
- Resource mobilization by engaging parents, alumni, volunteers, corporate entities (CSR), local organisation, etc.
- SMC to monitor the condition and activities of hostels in school premises like KGBV(s)/NSCBs/ PM JANMAN/DAJGUA, etc.
- To oversee all schemes in school like Samagra Shiksha, PM POSHAN, ULLAS, PM SHRI, etc.
- All civil work costing up to 30 lakhs may be executed by SMC.
- Capacity building training of SMC members.

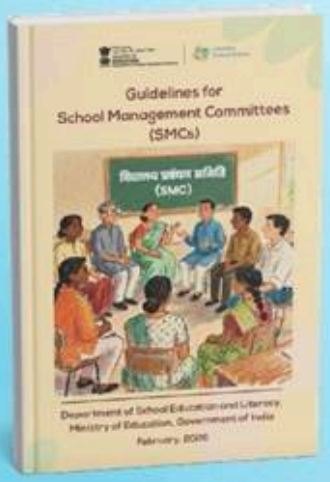

Scan to know more

स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशा-निर्देशों हेतु जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/guidelines/School_Management_Committee_Guidelines.pdf

LIVE I Launch of Guidelines for School Management Committee (SMC) at Vigyan Bhawan, New Delhi https://t.co/DASuPT8HQ2

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) May 6, 2026

*****

पीके/केसी/पीके

(रिलीज़ आईडी: 2258587) आगंतुक पटल : 63
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Odia , Telugu , Malayalam